

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग

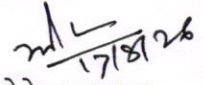
--: अधिसूचना --:

संचिका सं०-स०क०निग०-133/2023-.....⁴⁶³²/ श्री राजेश रंजन, तत्कालीन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, भरगामा, अररिया सम्प्रति कदवा, कटिहार द्वारा बाल विकास परियोजना कार्यालय, भरगामा, अररिया में उनके पदस्थापन की अवधि (दिनांक-01.08.2022 से 11.02.2023) के दौरान श्री सुरेन्द्र प्रसाद साह, सेवानिवृत्त लिपिक, बाल विकास परियोजना कार्यालय, भरगामा, अररिया (सेवानिवृत्ति तिथि- 30.11.2019) के बकाया वेतन एवं सेवान्त लाभ के भुगतान में प्रशासनिक लापरवाही बरती गई।

उक्त के आलोक में विभागीय पत्रांक-2242 दिनांक-11.05.2026 द्वारा आरोपित पदाधिकारी से स्पष्टीकरण की माँग की गई। श्री राजेश रंजन के पत्रांक-231 दिनांक-26.05.2026 द्वारा अपना स्पष्टीकरण विभाग को उपलब्ध कराया गया। श्री राजेश रंजन के विरुद्ध आरोप एवं उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गई तथा समीक्षोपरांत पाया गया कि उन्होंने कार्यालय निरीक्षण के उपरांत सेवानिवृत्त कर्मियों के बकाये एवं सेवान्त लाभों के निष्पादन हेतु त्वरित पहल कर कागजी प्रक्रिया पूरी की गई। उक्त के दृष्टिगत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री राजेश रंजन को भविष्य में पुरी सर्तकता एवं निष्ठा से कार्य करने की चेतावनी (Warning) देते हुए स्पष्टीकरण से मुक्त किये जाने का निर्णय लिया गया।

अतः उक्त परिप्रेक्ष्य में श्री राजेश रंजन, तत्कालीन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, भरगामा, अररिया सम्प्रति कदवा, कटिहार को भविष्य में पुरी सर्तकता एवं निष्ठा से कार्य करने की चेतावनी (Warning) देते हुए स्पष्टीकरण से मुक्त किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(भोगेन्द्र नाथ झा)
संयुक्त सचिव

समाज कल्याण विभाग।

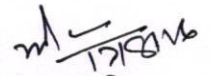
पटना-15 दिनांक :- 17.8.2026

ज्ञापांक :- स०क०निग०-133/2023-

⁴⁶³²

ईमेल/
निबंधित

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना / वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना / प्रमण्डलीय आयुक्त, पूर्णियाँ/भागलपुर/निदेशक, आई०सी०डी०एस० निदेशालय, बिहार, पटना / जिला पदाधिकारी, अररिया/कटिहार/जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, अररिया/कटिहार/माननीय मंत्री, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव / अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग के वरीय प्रधान आप्त सचिव / उप सचिव (स्थापना), समाज कल्याण विभाग / संबंधित कोषागार पदाधिकारी / विभागीय आई०टी० मैनेजर (अपलोड हेतु) एवं श्री राजेश रंजन, तत्कालीन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, भरगामा, अररिया सम्प्रति कदवा, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


संयुक्त सचिव
समाज कल्याण विभाग।